प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2016

विषयः- कोषागारों द्वारा "ई-पेमेन्ट" के माध्यम से पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पास यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वे पेंशन भुगतान हेतु अपनी सुविधानुसार भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (यथासंशोधित) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित किसी शेड्यूल्ड बैंक में अपना बचत खाता खोल सकेंगे।

2- उपर्युक्तानुसार शेड्यूल्ड बैंकों में बचत खाता खोले जाने हेतु संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का यह दायित्व होगा कि खाता अनिवार्यतः ऐसे बैंक में खोला जाए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कैरेक्टर वाला मानक आई0एफ0एस0सी0 कोड आंवटित हो तथा जो ''ई-पेमेन्ट'' के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने में सक्षम हो।

3- यह व्यवस्था पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की सुविधा के लिये की जा रही है। किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा किस बैंक में अपना बचत खाता खोला जायेगा, यह पूर्णतया उसके स्वविवेक पर होगा बशर्ते वह बैंक प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्ते पूरी करता हो। --2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- पेंशन भुगतान हेतु बैंकों में बचत खाता खोले जाने संबंधी पूर्व आदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समक्षे जायेंगे। अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-। के अशा0 संख्या-एफ0ए-1-306/दस-2016, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-26/2016/सा-3-592(1)/दस-2016-85एल0सी0/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।